संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं

सतपुड़ा भवन, "घ" खंड, तृतीय तल, भोपाल (म.प्र.)

Email : dirtadp@mp.gov.in

क्रमांक / अनु. / एस.सी.ए. / 2012 / न.–150 / 2752 भोपाल, दिनांक 30 / 8 / 2012

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय–आदिवासी उपयोजना विशेष केंद्रीय सहायता मद अंतर्गत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ– इस संचालनालय का पत्र क्रमांक / अनु. / एस.सी.ए. / 2012–13 / न.क्र–149 / 2186, दिनांक 24 / 7 / 2012

⇆

आदिवासी उपयोज़ना विशेष केन्द्रीय सहायता योजना अन्तर्गत आयसृजित करने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिये सभी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं, माडा पॉकेट एवं क्लस्टर को संदर्भित पत्र द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना, माडा पॉकेट, क्लस्टर एवं विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों हेतु अनुमोदित कार्ययोजनाओं में प्रस्तावित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये :–

1. गतिविधि से संबंधित प्रशिक्षण कार्य उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से सम्पादित कराये जायें, जो कौशल उन्नयन विकास विभाग के मापदन्डों को पूर्ण करते हों।
2. संबंधित संस्था V.T.P. के अधीन पंजीकृत हो।
3. प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था की दरें राज्य स्तरीय साधिकार समिति से अनुमोदित हों।
4. प्रशिक्षण उपरांत रोजगार एवं स्वरोजगार में न्यूनतम 75 प्रतिशत नियोजन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रशिक्षण उपरान्त MPCVET के माध्यम से परीक्षा एवं प्रमाणपत्र प्रदान कराना सुनिश्चित किया जावे।
6. भारत सरकार की मॉड्यूलर एम्पालॉयबल स्किल के तहत चिन्हांकित पंजीकृत ट्रेड्स की जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट www.dget.gov.in पर उपलब्ध है।
7. प्रशिक्षक संस्था का यह दायित्व सुनिश्चित किया जावे कि प्रशिक्षण के पश्चात न केवल प्रशिक्षणार्थी को रोजगार सुनिश्चित मिलना हो, बल्कि रोजगार में कम से कम एक वर्ष की निरन्तरता बनी रहे।
8. इन निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में प्रशिक्षण पर हुए व्यय को निष्फल मानकर संबंधित परियोजना प्रशासक / अधिकारी से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

सही)

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त सह संचालक
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं म.प्र.

पृ. क्रमांक / अनु. / एस.सी.ए. / 2012 / न.–150 / 2753 भोपाल, दिनांक 30 / 8 / 2012

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\2752, dated 30-8-2012.doc Training.doc